दिनाक 29.06.2022
प्रेस विज्ञप्ति 30/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद गोरखपुर/थाना हरपुर बुदहट

- **पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के भारी मात्रा में सोने व चॉदी के आभूषण**
- **लूट का मोबाइल फोन**
- **02 अन्य मोबाइल फोन**
- **चोरी की मोटर साइकिल आदि**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 29.06.2022 को थाना हरपुर बुदहट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चान्दपार पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त रणजीत उर्फ सोखा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के भारी मात्रा में सोने व चॉदी के आभूषण, लूट का मोबाइल फोन, 02 अन्य मोबाइल फोन, चोरी की मोटर साइकिल आदि, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गोरखपुर, बस्ती, संतकबीर नगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत है। दिनॉकः 25/26.06.2022 को थाना हरपुर बुदहट क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हरपुर बुदहट पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त बरामद आभूषण व मोटर साइकिल लूट/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना हरपुर बुदहट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रणजीत उर्फ सोखा निवासी ग्राम उसरापार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी

1–लूट के भारी मात्रा में सोने व चॉदी के आभूषण।

2– लूट का मोबाइल फोन।

3– 02 अन्य मोबाइल फोन।

4– चोरी की मोटर साइकिल आदि।

5– 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना स्याना

- **पुलिस कार्यवाही में 20–20 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 04 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) की बरामद**

दिनांक 28/29.06.2022 को थाना स्याना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थल तिराहे पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–राजेश 2–विकास घायल हो गये, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 04 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) की बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के थाना खुर्जा पर लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना खुर्जा पर पंजीकृत मु0अ0सं0–1404/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20–20 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित थे।

इस सम्बन्ध में थाना स्याना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजेश निवासी ग्राम हरसेना थाना ढोलना जनपद कासगंज।

2–विकास निवासी नंगलाहसी थाना दादो जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 04 खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

जनपद श्रावस्ती/थाना सिरसिया

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 29.06.2022 को थाना सिरसिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम जोखवा बाजार से पुरस्कार घोषित अभियुक्त संजय उर्फ डाक्टर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिरसिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0–127/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिरसिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संजय उर्फ डाक्टर निवासी जोखवा बाजार थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती।

जनपद फतेहपुर/थाना बिंदकी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 29.06.2022 को थाना बिंदकी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त उदयभान को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बिंदकी पर पंजीकृत मु0अ0सं0—176/2015 धारा 498ए/323/504/506/364/120बी भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बिंदकी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—उदयभान निवासी ग्राम नरैचा थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर।

जनपद बस्ती/थाना छावनी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 28.06.2022 को थाना छावनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विक्रमजोत अण्डर पास के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रवि को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना छावनी से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना छावनी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रवि निवासी छतौना थाना छावनी जनपद बस्ती।

जनपद बिजनौर/थाना नजीबाबाद

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 28/29.06.2022 की रात्रि थाना नजीबाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना नजीबाबाद क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ भालू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आबकारी एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना नहटौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–186/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ओमप्रकाश उर्फ भालू निवासी ग्राम मुस्वीखानपुर उर्फ चौगावा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बाराबंकी/थाना मसौली

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 29.06.2022 को थाना मसौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना मसौली क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अतुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 चार पहिया वाहन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानों पर धोखाधड़ी आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मसौली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मसौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अतुल निवासी रफी नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

जनपद गाजीपुर/थाना कोतवाली

- **03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के 01 लाख 11 हजार 500 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा, 03 जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 29.06.2022 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विशेश्वरगंज तिराहा के पास चेकिंग के दौरान 03 शातिर अभियुक्तों 1–छोटू 2–सागर 3–कृष्णानन्द उर्फ कृष्णा को गिरफ्तार किया गया। तीन अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, चोरी के 01 लाख 11 हजार, 500 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा, 03 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त छोटू के विरूद्ध जनपद गाजीपुर के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 23 अभियोग, अभियुक्त सागर के विरूद्ध जनपद गाजीपुर के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 28 अभियोग एवं अभियुक्त कृष्णानन्द उर्फ कृष्णा के विरूद्ध जनपद गाजीपुर के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया थाना कोतवाली पर पंजीकृत चोरी के घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—छोटू निवासी मिश्रौलिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

2—सागर निवासी मिश्रौलिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

3—कृष्णानन्द उर्फ कृष्णा निवासी नवाबगंज थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

2—चोरी के 01 लाख 11 हजार 500 रूपये नगद।

3—02 अवैध तमंचा, 03 जीवित कारतूस।

4—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना तितावी

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 लाख रूपये कीमत की चोरी का लैपटॉप, ब्लड चेक करने की मशीन, प्रिंटर**
- **घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 28.06.2022 को थाना तितावी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम लालूखेड़ी जंगल से 02 अभियुक्तों 1—राजू उर्फ रजत 2—विजय को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 लाख रूपये कीमत की चोरी का लैपटॉप, ब्लड चेक करने की मशीन, प्रिंटर, घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.06.2022 को थाना तितावी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना तितावी पर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद लैपटॉप, ब्लड चेक करने की मशीन, प्रिंटर उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना तितावी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजू उर्फ रजत निवासी मोहल्ला नूरानी मस्जिद थाना व जनपद शामली।

2—विजय निवासी ग्राम टिटौली थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

बरामदगी

1—लगभग 04 लाख रूपये कीमत की चोरी का लैपटॉप, ब्लड चेक करने की मशीन, प्रिंटर।

2—घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद इटावा/थाना कोतवाली

- **03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 दो पहिया वाहन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 28/29.06.2022 की रात्रि थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कोतवाली क्षेत्र से चेकिंग के दौरान 03 शातिर अभियुक्तों 1—नाजिम उर्फ मोनू 2—आशीष उर्फ टैटी 3—कल्लू उर्फ करिया उर्फ कालू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 पहिया वाहन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो वाहनों की चोरी कर उनके नम्बर प्लेट बदलकर सस्ते दामों पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–नाजिम उर्फ मोनू निवासी रामगंज थाना कोतवाली जनपद इटावा।

2–आशीष उर्फ टैटी निवासी लालपुरा थाना कोतवाली जनपद इटावा।

3–कल्लू उर्फ करिया उर्फ कालू निवासी कोकपुरा थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 05 दो पहिया वाहन।

2– 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस।

<u>जनपद सीतापुर/थाना कोतवाली नगर</u>

- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **42 हजार रूपये नगद**
- **28 एटीएम कार्ड**
- **04 मोबाइल फोन**
- **01 कार, 02 नम्बर प्लेट बरामद**

दिनांक 29.06.2022 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अस्पताल रोड के पास से 04 अभियुक्तों 1–संदीप 2–मोन्टी 3–सचिन 4–अजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 42 हजार रूपये नगद, 28 एटीएम कार्ड, 04 मोबाइल फोन, 01 कार, 02 नम्बर प्लेट बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मोन्टी व सचिन के विरूद्ध जनपद झॉसी व मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 06—06 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा एटीएम में जाने वाले ग्राहकों की सहायता करने के बहाने उनके एटीएम कार्ड को बदल कर धोखाधड़ी कर पैसा निकाल लेते है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—संदीप निवासी गलीरा रोड निकट स्कूल पब्लिक सिटी लक्ष्मीपुरम जनपद सहारनपुर।

2—मोन्टी निवासी कुरलकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

3—सचिन निवासी आदर्श नगर कालोनी नई बस्ती सुनहैरा रूडकी जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

4—अजय निवासी आदर्श नगर कालोनी नई बस्ती सुनहैरा रूडकी जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

बरामदगी

1—42 हजार रूपये नगद।

2—28 एटीएम कार्ड।

3— 04 मोबाइल फोन।

4—01 कार, 02 नम्बर प्लेट।

जनपद बदायूँ/थाना सहसवान

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **20 हजार रूपये नगद**
- **35 एटीएम कार्ड**
- **01 आई–20 कार बरामद**

दिनांक 28.06.2022 को थाना सहसवान पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर प्रमोद इण्टर कालेज के पास चेकिंग के दौरान एटीएम कार्ड की धोखाधड़ी कर अवैध रूप से पैसे निकालने वाले 02 शातिर अभियुक्तों 1–अवनीश 2–सन्नी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 20 हजार रूपये नगद, 35 एटीएम कार्ड, 01 आई–20 कार बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अवनीश के विरूद्ध जनपद बदायूँ, इटावा, कासगंज के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग एवं अभियुक्त सन्नी के विरूद्ध जनपद बदायूँ, गाजियाबाद के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा एटीएम में जाने वाले ग्राहकों की सहायता करने के बहाने उनके एटीएम कार्ड को बदल कर धोखाधड़ी कर पैसा निकाल लेते है।

इस सम्बन्ध में थाना सहसवान पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अवनीश निवासी किशोरी नगर थाना गोविन्द नगर जनपद मथुरा।

2–सन्नी निवासी किशोरी नगर थाना गोविन्द नगर जनपद मथुरा।

बरामदगी

1—20 हजार रूपये नगद।

2—35 एटीएम कार्ड।

3—01 आई—20 कार।

जनपद महोबा/थाना चरखारी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **50 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद**

दिनांक 28.06.2022 को थाना चरखारी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुढ़ा नहर पुल के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त जगदीश प्रसाद उर्फ प्रेम को गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 50 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा, 01 मोबाइल फोन, 01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना चरखारी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जगदीश प्रसाद उर्फ प्रेम निवासी समदनगर थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा।

बरामदगी

1—50 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा।

2—01 मोबाइल फोन।

3—01 स्विफ्ट डिजायर कार।

एसटीएफः मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अन्तर्राज्यीय गिरोह के 03 सक्रिय सदस्य 09.29 कुन्तल गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 2.25 करोड़ रूपये) के साथ गिरफ्तार।

दिनांकः 29—06—2022 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अन्तर्राज्यीय गिरोह के 03 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से डी0सी0एम0 ट्रक सहित 9.29 कुन्तल मादक पदार्थ गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 2.25 करोड़ रूपये) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :—

1. अनूप कुमार मिश्रा पुत्र राम सागर मिश्रा, निवासी जियापुर मानपुर, थाना कोरांव, जनपद प्रयागराज (चालक)।
2. पवन कुमार सिंह पुत्र चन्द्रलाल सिंह, निवासी छनना मानपुर, थाना कोरांव, जनपद प्रयागराज (सहायक)।
3. हरिकान्त सिंह उर्फ बब्लू पुत्र स्व0 दिवाकर सिंह, निवासी हहोतीपुरवा, थाना सोहागी, जनपद रीवां, मध्यप्रदेश।

बरामदगीः—

1— 9.29 कुन्तल गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 2.25 करोड़ रूपये)।

2— 01 अदद डी0सी0एम0 ट्रक नं0-CG-18H-1283।

3— 03 अदद मोबाइल फोन।

4— 01 अदद डेबिट कार्ड।

5— 03 अदद आधार कार्ड।

6— 02 अदद फर्जी टैक्स इन्वाइस/बिल।

7— 65 बन्डल बबल रैप प्लास्टिक (गांजा छिपाने हेतु)।

8— नकद 1330/— रूपये।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

दिनांक 29.06.2022 समय 02:30 बजे प्रातः, गाढ़ा बाजार, थाना क्षेत्र कोरांव, जनपद प्रयागराज।

विगत दिनों से एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को भारत के विभिन्न राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांकः 29—06—2022 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज की एक टीम द्वारा प्रयागराज के बडोखर बाजार, थाना क्षेत्र कोरांव में आपराधिक अभिसूचना संकलन किया जा रहा था। इसी दौरान मुखबिर से ज्ञात हुआ कि अवैध मादक पदार्थों की व्यापक तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य अपने सहयोगियों के साथ आज आन्ध्र प्रदेश से अवैध मादक पदार्थों की बड़ी खेप लेकर डी0सी0एम0 ट्रक नं0 -CG-18H-1283 से मध्य प्रदेश के रास्ते प्रयागराज के सीमावर्ती क्षेत्र में आने वाले है। इस सूचना पर निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, उ0नि0 श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, मु0आरक्षी अष्वनी कुमार सिंह, दिलीप कुमार त्रिपाठी, साजित अली, आरक्षी सोनू यादव व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम प्रयागराज के कोरांव थाना क्षेत्र में गाढ़ा बाजार के पास अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी एवं तस्करों की गिरफ्तारी की प्रत्याशा में इन्तजार करने लगी। कुछ देर इन्तजार करने के उपरान्त मुखबिर द्वारा बतायी गयी उक्त डी0सी0एम0 ट्रक आती हुई दिखाई दी, जिसे एस0टी0एफ0 टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उक्त अभियुक्तों को समय करीब 02:30 बजे प्रातः गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ करने गिरफ्तार अभियुक्त अनूप कुमार मिश्रा उपरोक्त द्वारा बताया गया कि हम लोगों का गॉजा तस्करी का संगठित गिरोह है। प्राप्त टैक्स इनवाइस/बिल फर्जी है, तथा इसी बबल रैप का उपयोग हम लोग हर बार गॉजा छिपाने हेतु करते है। अवैध गॉजा आन्ध्र प्रदेश से लाकर जनपद प्रयागराज, मिर्जापुर, जनपद रीवां, मध्यप्रदेश व इसके आस—पास ऊँचे दाम पर थोक में बेचते है। हम लोग के सरगना राकेश सिंह पुत्र

रजनीश सिंह, निवासी रामपुर सोनौरी, थाना सोहागी, जनपद रीवां, मध्यप्रदेश है, जो जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में रहता है, और वहीं से इस कार्य का संचालन करता है। किन्तु आज अपनी डिजायर कार से हमारे आगे–पीछे चल रहा था आप लोगों को देखकर फरार हो गया। राकेश सिंह द्वारा हम लोगों को यह गॉजा राजमुन्दरी, जिला पूर्व गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश की घाटी से लोड कराकर गाड़ी व फर्जी बिल लाकर बाहर रोड पर देता है, जिसे हम लोग मिर्जापुर, प्रयागराज व रींवा उनके सहयोगी हरिकान्त के माध्यम से गांजे के थोक व्यापारियों को सप्लाई करते है। आज भी हरिकान्त यह गॉजा प्राप्त करने के लिये हमें हनुमना बार्डर पर मिला है। इसके पहले भी मैं कई बार आन्ध्र प्रदेश से गॉजा लाकर सप्लाई कर चुका हूॅ। हम लोग अभी पिछले माह ही 06 कुन्तल गॉजा मिर्जापुर में उतारा था। इस कार्य के एवज में प्रति चक्कर हमें 50 हजार तथा हमारे सहयोगी पवन कुमार सिंह को 20 हजार रूपये मिलते है तथा हरिकान्त यहॉ आसपास थोक के ग्राहक सेट करता है। राकेश सिंह पुत्र रजनीश सिंह, निवासी जनपद रीवां, मध्यप्रदेश के गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोरांव, जनपद प्रयागराज में मु0अ0सं0 283/2022 धारा 419, 420 भादवि व 8/20/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———————